

न्यायालय:- अमूल मण्डलोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़,
जिला बड़वानी(म0प्र0)

फौज0प्र0क. 237 / 18

1. म.प्र. राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियोजन

विरुद्ध

1. सुनील पिता संधीया चौहान,
उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम सजवाय
जिला बड़वानी
2. नरेन्द्र पिता पाण्डूराम पंवार,
उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चाटली
जिला बड़वानी

-----अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 16/05/2018 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त सुनील पर यह अभियोग है कि उसने दिनांक 21.01. 2018 को शाम 6:30 बजे के लगभग गैस गोडाउन के पास राजपुर रोड़ अंजड़ में लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल होण्डा साईन क. एम. पी 46.एम.सी/1730 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन किया तथा आहत पवन को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना बीमे एवं बिना ड्रायविंग लाईसेंस के चलाया। अभियुक्त नरेन्द्र पर अभियोग है कि उसने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर चालक अनुज्ञप्ति के अभियुक्त सुनील पिता संधीया चौहान को परिवहन करने हेतु देकर मोटरयान अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया।

02. प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्तगण सुनील एवं नरेन्द्र ने अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.01. 18 को थाना अंजड़ पर पदस्थ प्रधान आरक्षक कैलाश चौहान को थाने से प्रीएमएलसी मजरूह पवन की जांच हेतु प्राप्त होने पर उसने पवन के कथन लिये, जिसने अपने कथन में बताया कि वह ड्रायवरी का काम करता है। वह,रितेश पिता सुनील तीनों नकटीमाता गिट्टी खदान पर से ड्रायवरी का काम कर वापस अपने घर पैदल जा रहे थे, तभी राजपुर रोड़ गैस गोडाउन के सामने पीछे से एक मोटरसाईकिल का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसे पीछे से टक्कर मार दी जिससे वह वही पर गिर गया और गिरने से उसे सिर में पीछे व दोनों हाथों की कोहनीयों में चोट आई।

मोटरसाईकिल चालक भी गिर गया तथा पीछे बैठी महिला को भी चोटें आई। उसे रितेश व सुनील ने उठाया। मोटरसाईकिल को देखा तो होण्डा साईन नं एम पी 46 एम सी 1730 लिखा था। उसके साथ वालों ने डायल 100 वाहन को फोन करके बुलाया और उसे शासकीय अस्पताल अंजड़, जिला अस्पताल बड़वानी व प्राईवेट हॉस्पिटल बालाजी में ईलाज चल रहा है। उक्त जॉच एवं कथन के आधार पर थाने का अपराध क्र. 48/18 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.स. का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान फरियादी की निशांदाही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। मोटरसाईकिल तथा कागजात जप्त किये गये। अभियुक्त सुनील के पास ड्रायविंग लाईसेंस नहीं होने से धारा 3/181 एवं वाहन स्वामी नरेन्द्र द्वारा बीना ड्रायविंग लाईसेंस के चलाने देने से 5/180 बीमा नही पाये जाने से 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। बाद सम्पूर्ण विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण सुनील व नरेन्द्र ने इस निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित सभी आरोपो को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया गया।

05. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है—

1. क्या अभियुक्त सुनील ने दिनांक 21.01.2018 को शाम 6:30 बजे के लगभग गैस गोडाउन के पास राजपुर रोड़ अंजड़ में लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल होण्डा साईन क्र. एम. पी 46.एम.सी/1730 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन किया तथा आहत पवन को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना बीमे एवं बिना ड्रायविंग लाईसेंस के चलाया?

2 क्या अभियुक्त नरेन्द्र ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर चालक अनुज्ञप्ति के अभियुक्त सुनील पिता संधीया चौहान को परिवहन करने हेतु देकर मोटरयान अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया ?

सकारण निष्कर्ष

06. अभियुक्त सुनील पिता संधीया के द्वारा दिनांक 21.01.2018 को शाम 6:30 बजे के लगभग गैस गोडाउन के पास राजपुर रोड़ अंजड़ में लोक मार्ग पर मोटरसाईकिल होण्डा साईन क्र. एम. पी 46.एम.सी/1730 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन करने तथा आहत पवन को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित करने एवं वाहन को बिना बीमे एवं बिना ड्रायविंग लाईसेंस के चलाने तथा अभियुक्त नरेन्द्र के द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर चालक अनुज्ञप्ति के अभियुक्त सुनील पिता संधीया चौहान को परिवहन करने हेतु देकर मोटरयान अधिनियम

की शर्तों का उल्लंघन करने संबंधित सभी आरोपों को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय और दबाव के स्वीकार किया है। अभियुक्तगण की उक्त स्वीकारोक्ती से संतुष्ट होते हुए अभियोजित अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त सुनील पिता संधीया को भा.द.स. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 एवं अभियुक्त नरेन्द्र को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

07. यद्यपि अभियुक्त सुनील को भा.द.स. की धारा 279 एवं 337 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथापि धारा 337 भा.द.स. का अपराध धारा 279 भा.द.स. के अपराध से गुरुत्तर होने के कारण धारा 71 भा.द.स. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सुनील पिता संधीया को धारा 279 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डित किया जा रहा है। अभियुक्त सुनील को भा.द.स. की धारा 279 में 1,000/—रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 व 3/181 के तहत 500/—500/—रुपये (अक्षरी पांच—पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। इस प्रकार अभियुक्त को तीनों धाराओं के अंतर्गत कुल 2,000/—रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतीक्रम की दशा में अभियुक्त को क्रमशः एक—एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे तथा अभियुक्त नरेन्द्र को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत 500/— (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि की अदायगी की व्यतीक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

08. धारा 357 (1) द.प्र.स. के तहत अभियुक्त सुनील व नरेन्द्र पर अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि वसूल किए जाने के पश्चात उक्त राशि में से आहत पवन को उसको आई चौटो के लिए 1,000/—रुपये प्रतिकर प्रदान किया जाता है। उक्त प्रतिकर की राशि आहत को अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में उक्त प्रतिकर की राशि का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार की जावे। तद्संबंध में आहत पवन को सूचना पत्र जारी किया जावे।

09. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकिल क्रमांक एम पी 46. एम. सी/1730 उसके रजिस्टर्ड स्वामी को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(अमूल मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बड़वानी

अमूल मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बड़वानी